

5.8.2024

वकील पार्की अप.। वकील पार्की द्वारा छिपी अनुयाय शब्द
रिपोर्ट में अंकन लोग बताया। पार्की पत्र में कोई जापवक्ति
शेष नहीं होने पर पार्की पत्र स्वीकार किया जाता है। पार्की
नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश से स्वलात सुन्यामा गम्य।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)



GCMG
2020/00249